न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-18/2013

1- सन्तरा पुत्री मालीदेवी एवं सोहनलाल पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल हाल निवासी लक्ष्मण ब्राह्मण की ढाणी तन बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

2- बजरंगलाल
3- रामस्वरूप
4- महावीर
पुत्रगण मालीदेवी एवं सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- रामजीलाल
2- फूलचन्द
पुत्रगण जीतमल जाति महाजन निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

3- प्रभूदयाल
4- महेश
5- बलबीर
6- परमेश्वरी
पुत्रगण स्व0 औंकार जाति महाजन निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

7- प्रेम
8- बिमला
9- सरोज
पुत्रियां स्व0 औंकार जाति महाजन निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

10- कमला स्त्री स्व0 औंकार जाति महाजन निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

11-फूलचन्द
12-इन्द्राज
पुत्रगण मालीराम जाति चमार निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

13-भागीरथ पुत्र धोंकलराम जाति मेहतर निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

14-लक्ष्मीनारायण पुत्र धोंकलराम जाति कुम्हार
15-रामजी स्त्री सारारा जाति कुम्हार
16- पूर्णा पुत्र मालाराम जाति गुर्जर
निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 3-01-2013 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर खेतडी ।
----0-----

उपस्थिति-

1- श्री शिम्भूदयाल शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री महेन्द्रकुमार कुमावत एडवोकेट- अपीलान्ट
3- श्री जितेन्द्रकुमार निर्मल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 11.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0- 11 से 16 ने अदालत मातहत में दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीलवा तहसील खेतडी में गत ख0नं0 236 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 181 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 180 रकबा 19 बीघा, ख0नं0 184 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 333 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा सम्वत 2012 में प्रतिवादी सं0-1 से 10 के पूर्वज जीतमल पुत्र धर्मचन्द जाति महाजन की गैर खातेदारी में दर्ज थी ।उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर-476 रकबा 4.76 हैक्टर, ख0नं0 475 रकबा 2.09 हैक्टर, ख0नं0 474 रकबा 2.63 हैक्टर, ख0नं0 482 रकबा 2.92 हैक्टर, ख0नं0 483 रकबा 2.97 हैक्टर, खसरा नं0 463 रकबा 0.85 हैक्टर एवं ख0नं0 393 रकबा 0.85 हैक्टर बने है । इस भूमि में वादिया सं0-3 की माता रामप्यारी सम्वत 2012 से पूर्व ही उप कृषक थी । रामप्यारी के देहान्त के बाद कभी वादिया एवं कभी उसका पति उक्त आराजी को काश्त करते श्रेआ रहे हैं । जिसका हाल ख0नं0 476 रकबा 4.29 हैक्टर एवं वादी सं0-1 व 2 का पिता मालिया भी सम्वत 2012 से उक्त आराजी का उप कृषक था । उसकी मृत्यु के बाद वादी सं0-1 व 2 उक्त आराजी को काश्त करते

आ रहे हैं । जिसका हाल ख0नं0 482 रकबा 2.92 हैक्टर है तथा वादी सं0-4 का पिता धोकल भी सम्वत 2012 से उक्त भूमि का उप कृषक है तथा धोकल की मृत्यु के बाद वादी सं0-1 से 4 उक्त आराजी को काश्त करते आ रहे है । जिसका ख0नं0 393 रकबा 0.85 हैक्टर है । वादी सं0-5 भूमि ख0नं0 180 का सम्वत 2012 से उपकृषक है जिसका ख0नं0 475 है । तथा वादी सं0-6 का पति नाराना भी उक्त भूमि में सम्वत 2012 से पूर्व उपकृषक है जिसका ख0नं0 463 रकबा 0.85 हैक्टर एवं ख0नं0 474 रकबा 1.63 हैक्टर है तथा वादी संख्या -7 भी सम्वत 2012 से उपकृषक दर्ज चला आ रहा है जिसका ख0नं0 474 रकबा 1.00 हैक्टर है । प्रतिवादी संख्या-1 से 10 ना तो ग्राम बीलवा में रहते हैं ना ही उन्होने उक्त भूमि को कभी काश्त की है । ना ही उनके पूर्वज जीतमल ने उक्त भूमि को कभी काश्त किया है । जबकि वादीगण इस आराजी को सम्वत 2012 से ही काश्त करते आ रहे है जिससे वादीगण इस आराजी के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-19(1)(i) के तहत खातेदार बन चुके जिसकी वो घोषणा कराने के अधिकारी है । किन्तु प्रतिवादी सं0-1 रामजी लाल व फूलचन्द ने दिनांक 20-8-2006 को वादीगण के पास आये व धमकी दी की आप इस आराजी के पुराने खातेदार हो इस कारण हमारी आराजी के पैसे दे दो वरना इस आराजी को हरियाणा के भूमाफियाओं को बैचान कर देगे जो आप से इस आराजी का कब्जा कभी ही खाली करवा लेगें । इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकल ली तथा यह दावा पेश किया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रतिवादी संख्या-1 से 10 के पक्ष में कोई तनकी कायम नहीं की ।अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 का निर्णय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-11 से 16 के विरूद्ध करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने गत खसरा नं0- 236 हाल ख0नं0 476 पर अपीलान्ट की माता रामप्यारी की

को बतौर काश्तकार दर्ज कर रखा है । तनकी संख्या-2 का निर्णय भी अपीलाट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-11 से 16 के हक में निर्णित न कर कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने वादीगण द्वारा दावे के साथ पेश दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने प्रतिवादी के हक में बिना तनकीयात का निर्णय किये ही दावा गलत रूप से खारिज किया है। अदालत मातहत ने प्रतिकूल कब्जे बाबत आधार गलत लिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । इस अपील के साथ अपील संख्या- 34/2013 फूलचन्द आदि बनाम-- रामजीलाल एवं अपील संख्या-121/2013 उनवान भागीरथ आदि बनाम रामजीलाल आदि तीनों अपीलों की बहस एक साथ किये जाने का निवेदन करते हुये बहस की गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 10 के नाम रही है किन्तु इस आराजी पर ने तो रेस्पोडेन्ट के पूर्वज जीतमल का कब्जा काश्त रहा और ना ही रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 10 इस आराजी पर कब्जा काश्त रहा है । विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ हुआ तब से सम्वत 2012 से अपीलान्ट के पूर्वज तथा उनके देहान्त के बाद इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है । अपीलान्ट के पूर्वज उक्त आराजी के उप कृषक दर्ज रहे है जो खसरा गिरदावरियों से साबित है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 10 ना तो ग्राम बीलवा में रहते हैं और ना ही इस आराजी पर कभी कब्जा रहा है । इस आराजी पर अपीलान्टस/वादीगण ही लगातार सम्वत 2012 से काबिज काश्त--कार चले आ रहे हैं । इस कारण इस आराजी पर लगातार कब्जा काश्त रहने से भी इस आराजी के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-19॥

तब पेश किया जब रामजीलाल व फूलचन्द रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने आकर यह कहा कि विवादित आराजी हमारे खातेदारी में दर्ज है । आपका इस भूमि पर पुराना कब्जा है। इस कारण इस आराजी के हमे पैसे दे दो वरना इस भूमि का बैचान भू-माफियाओं को कर देंगे जो अपने आप इस आराजी से आपको हटाकर कब्जा प्राप्त कर लेंगें । अदालत मातहत ने प्रस्तुत दस्तावेजात का कोई अवलोकन नहीं किया। प्रदर्श-4,5,6,7 खसरा गिरदावरिया है जिसमें प्रथम खसरा गिरदावरी सं0- 2012 से 2015 में विवादित आराजी मलकीयत सरकार जीतमल महाजन 1/2, मन्ना ब्राहम्ण 1/2 तथा जीतमल के नाम दर्ज है किन्तु इस आराजी पर काश्त अलग अलग काश्तकारो की रही है जिसमें भगवाना, गीता मालिया चमार, रूडा चमार, रामप्यारी चमार के नाम दर्ज है ꣾꣾ खसरा गिरदावरी स0- 2016 से 2019 मे तो हमारे पूर्वज उपकृषक के कालम मे दर्ज है । जो सम्वत 2022 तक लगातार दर्ज है ।अदालत मातहत ने इन दस्तावेजो के बाबत अपने निर्णय मे कोई विवेचन न कर अपना निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-0 के पक्ष मे एक भी तनकी साबित नही होते हुये भी दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस समय से विवादित आराजी हमारे पूर्वज जीतमल की खातेदारी में रही है। जीतमल जो हमारे पूर्वज थे वो एक व्यवसायी था और एक व्यवसायी सम्पूर्ण भूमि को काश्त नही कर सका इस कारण उसने उक्त आराजीयात की काश्त के लिये अन्य काश्तकारों को सहायता के लिये काश्त मे शामिल किया है इस आराजी को कभी भी लगान के बदले काश्त के लिये जीतमल ने नहीं दी है ।यह राजस्व रेकार्ड से साबित है अदालत मातहत ने अपना तनकीवाईज निर्णय दिया है । अपीलान्ट ने एक भी तनकी अपने पक्ष में साबित नहीं की है । आराजी ख0नं0 236 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा थी जिसका नया खसरा नम्बर 476 रकबा 4.29 हैक्टर होना वादी/अपीलान्ट ने होना दावे में दर्ज किया है। किन्तु शेष आराजी के बाबत कोई

के मध्य सबडिनेन्सी हुई हो इस बाबत कोई तथ्य दावे में दर्ज नहीं किये है । अपीलान्ट ने अपनी माता रामप्यारी को सम्वत 2012 के पूर्व से काबिज काश्त-कार बताया है यदि रामप्यारी सम्वत 2012 से पूर्व विवादित आराजी पर काबिज होती तो उसका नाम भी जीतमल की तरह खातेदारी में दर्ज होता अपीलान्ट ने जीतमल को गैर खातेदार बताया है और राजस्व रेकार्ड के अनुसार जीतमल गैर खातेदार है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-45 के अनुसार एक वर्ष से अधिक के लिये लगान पर नहीं दे सकता। अपीलान्ट ने दावे में ख0नं0 236 नया ख0नं0 476 के बाबत जो कथन किये है वो असत्य है जो रेकार्ड से साबित नहीं है । गत ख0नं0 333 नये ख0नं0 393 को अपनी खातेदारी में होना क्लेम किया है । सम्वत 1998 में उक्त भूमि का काश्तकार गणपत पुत्र सुगरा गुर्जर था जिस के द्वारा लगान जमा नहीं कराने पर यह भूमि भी लगान पर जीतमल को दी गई थी । जीतमल के साथ धोकल ने इस आराजी की काश्त की थी तथा सम्वत 2021 में काश्त करना धोकल ने छोड दिया । इस प्रकार अन्य वादीगण की तरह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व इस आराजी की काश्त धोंकल ने भी नहीं की तथा बाद में सं0 2020 तक ही काश्त कर छोड दी । अपीलान्ट ने तनकी संख्या-1 जो मुख्य तनकी थी उसको साबित नहीं किया यह तनकी वादीगण के खिलाफ एवं प्रति-वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई थी। इस प्रकार अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों पर तथा मौखिक साक्ष्यों पर विवेचन कर अपना निर्णय पारित किया वादीगण का दावा साबित नहीं होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट का दावा खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है । अपीलान्टस् की उक्त तीनों अपीलों को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 व 2 खतौनी खातेदार मौजा बीलवा सम्वत 1998, प्रदर्श-3 जमाबन्दी सं0- 2012 से 2015, प्रदर्श-4 जमाबन्दी सं0- 2022, प्रदर्श-6 जमाबन्दी सं0- 2030 से 2033, प्रदर्श-7 जमाबन्दी सं0-2044 से 2048, प्रदर्श-8 नकल

तक अर्थात सम्वत 2033 तके विवादित आराजी जीतमल पुत्र कर्मचन्द के नाम दर्ज रही तथा इसी जमाबन्दी पर जीतमल के फौत होने का अंकन है । इसके बाद यह आराजी औंकारमल, रामजीलाल, फूलचन्द पि0 जीतमल के नाम दर्ज हुई जो जमाबन्दी सं0- 2059 तक की प्रस्तत जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है । प्रदर्श -11 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया ।प्रदर्श-8 में विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 10 के नाम दर्ज है । प्रदर्श-4 खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2015 में विवादित आराजी की काश्त मालीया चमार 10 बीघा रूडा चमार 4 बीघा, राम प्यारी चमार 2 बीघा 12 बिस्वा पर काश्त दर्ज है ।जो प प्रदर्श-5 ख0नं0 खसरा गिरदावरी सं0-2016 से 2018 में मे उपकृषक खुद काश्त 8 बीघा भगवाना महाजन, 4 बीघा मालिया चमार, 10 बीघा झगडिया चमार मु0 रामप्यारी चमारी 2 बीघा 12 बिस्वा पर दर्ज है । जो प्रदर्श-6 खसरा गिरदावरी सं0- 2019, प्रदर्श-7 खसरा गिरदावरी सं0-2020 से 2022 तक लगातार रही है ।अर्थात वादीगण/अपीलान्टस् के पूर्वज इस आराजी पर सम्वत 2012 से लगातार काबिज काश्तकार रहे हैं ।धोकल ने भी ख0नं0 236 की काश्त की है यह खसरा गिरवारी सं0- 2012 से 2015 से स्पष्ट है । इस प्रकार उक्त आराजी पर खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 10 के पूर्वज जीता एवं जीतमल के देहान्त के बाद उसके पुत्रों के नाम दर्ज रही है किन्तु उक्त आराजी पर कब्जा काश्त अपीलान्ट के पूर्वजों का रहा है ।अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 में आया विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतडी के ख0नं0 482 का वादी स0- 1 व 2, ख0नं0 476 का वादिया सं0-3, ख0नं0 393 का वादी सं0-4 ख0नं0 475 का वादी सं0-5, ख0नं0 463 व 474 रकबा 1.63 हैक्टर का वादी सं0-6 व ख0नं0 474 रकबा 1.00 हैक्टर का वादी सं0-7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था । खसरा गिरदावरियों प्रदर्श-4 से 7 में वादीगण/अपीलान्टस् के पूर्वजों के नाम काश्त दर्ज रही है जो सम्वत 2012 से लगातार रही है । इस बाबत अदालत मातहत ने इस तनकी में दर्ज कर दिया कि वादीगण ने अलग अलग खसरा नम्बरों

को वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है । जबकि अपीलान्ट के पक्ष में यह तनकी आंशिक स्वकार है । अपीलान्ट का सम्वत 2012 से कब्जा काश्त विवादित आराजी पर प्रमाणित है । जब तनकी संख्या-1 आंशिक स्वीकार होती है तो तनकी संख्या-2 जो स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत बनाई है वह तनकी भी आंशिक वादीगण/अपीलान्ट के पक्ष में है ।इस कारण हम अदालत मातहत के निर्णय को यथावत न रखकर प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-01-2013 को खारिज किया जाकर ~~xxxxxx~~ प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है प्रकरण में कब्जे सम्बन्धी जांच कर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-7-2018 को उपस्थित होवें । इस निर्णय की प्रति अपील संख्या-34/2013 उनवान फूलचन्द बनाम रामजीलाल एवं अपील सं0- 121/2013 उनवान भागीरथ पुत्र बनाम रामजीलाल में संलग्न की जावे । उनका निर्णय भी इसी अनुसार किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.6.2018 को सुनाया गया

11/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर